भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

वेंडिग कियोस्क आवंटन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन सं०– BSCL/03/2023

स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत निर्मित वेंडिग कियोस्क को मासिक किराया के आधार पर आवंटन हेतु आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आंमत्रित किया जाता है। वेंडिग कियोस्क के स्थान एवं संख्या निम्नांकित तालिका में वर्णित हैः–

क्र०सं०	स्थल का नाम	कियोस्क की संख्या
1	लाजपत पार्क के नजदीक	11
2	मोक्षदा स्कूल के सामने	7

इच्छुक आवेदक भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेबसाईट www.smartcitybhagalpur.org से वेंडिग कियोस्क आवंटन हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 22/11/2023 अपराहन् 5:00 बजे है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
वेंडिग कियोस्क आवंटन हेतु विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत निर्मित वेडिंग कियोस्क का मासिक किराया के आधार पर आवंटन किया जाना है। वेंडिग कियोस्क के आवंटन हेतु अहर्त्ता, आवदेन की प्रक्रिया एवं आवेदन का निष्पादन की विवरणी निम्नवत् हैः–

(क) स्थल का नाम जहाँ वेंडिग कियोस्क निर्मित है।

क्र०सं०	स्थल का नाम	कियोस्क की संख्या	अभियुक्ति
1	लाजपत पार्क के नजदीक	11	यह फुड स्टॉल के लिये सुरक्षित है। साथ ही लाजपत पार्क के पास पंजीकृत वेंडर को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
2	मोक्षदा स्कूल के सामने	7	मोक्षदा स्कूल के पास पंजीकृत वेंडर को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) अहर्त्ताः–

1. आवेदक का आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. आवेदक का गैरसरकारी होना अनिवार्य है।
3. वेंडिग कियोस्क 'जैसा है वैसी स्थिति' में आवंटन किया जायेगा।
4. आवेदक का वेन्डर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नक सहित आवेदन करना होगा।

(ग) आवेदन की प्रक्रिया एवं आवदेन का निष्पादनः–

1. वेंडिग कियोस्क 'जैसा है वैसी स्थिति' में आवंटन किया जायेगा।
2. सुरक्षित जमा राशि 5000/रू० जमा करना होगा जो वेडिंग कियोस्क वापस करने पर ब्याजरहित वापस किया जायेगा। आवंटन रद्द होने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जायेगी। सुरक्षित जमा राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट जो भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पक्ष में हो तथा भागलपुर में भुगतेय हो (Demand draft shall be made in favour of " Bhagalpur Smart City Limited" and Payable at "Bhagalpur")। कियोस्क का आवंटन नही होने की स्थिति में यह राशि ब्याजरहित वापस की जायेगी।
3. वेंडिग कियोस्क का मासिक भाड़ा 500/रू० होगा जिसे माह पूर्ण होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। मासिक भाड़ा समय पर जमा नहीं करने पर 10% दण्ड सूद देय होगा। भाड़ा तीन माह बकाया की स्थिति में आवंटन रद्द करने का अधिकार भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास सुरक्षित होगा।
4. वेंडिग कियोस्क वापस करने पर यथास्थिति में वापस करना होगा।
5. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायायिक क्षेत्राधिकार भागलपुर होगा।

6. आवेदक को निम्नांकित के लिये शपथ पत्र मूल में देना होगा:—

(i) कि उनके द्वारा जो भी दस्तावेज एवं सूचना उपलब्ध कराई गई है, सत्य है। उपलब्ध कराई गई/दी गई सूचना भविष्य में अगर असत्य, भ्राम्रक या अवैध पाया जाता है, तो भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड उक्त आवंटन को रद्द करते हुए आवेदक द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि को जब्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) कि आवेदक को वेंडिग कियोस्क आवंटन के पश्चात् चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में समर्पित करना होगा।

(iii) कि प्रतिबंधित उत्पाद का विक्रय नही करना होगा।

7. चयनित आवेदकों को वेंडिग कियोस्क में से कौन से क्रमांक का आवंटन होगा, इसका निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

8. विहित प्रपत्र में आवेदन भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय के निविदा बॉक्स में ही प्राप्त किया जायेगा।

9. भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस आवंटन प्रक्रिया को किसी भी समय रदद् करने का अधिकार होगा।

10. वेंडिग कियोस्क का आवंटन तीन वर्ष के लिये किया जायेगा, जिसे आवश्यकतानुसार मासिक भाड़ा में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अवधि विस्तार की जायेगी।

11. वेंडिग कियोस्क पर आवेदक का किसी प्रकार का स्वामित्व नही होगा/वे केवल किरायेदार के रूप में होगें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।